



RAEBARELI POLICE



दिनांक 15 अक्टूबर 2026

थाना लालगंज

शादी का झांसा देकर युवती को भगाने एवं दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में

02 अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2026 को आवेदिका द्वारा थाना लालगंज पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण 1.पिंकू पुत्र रामप्रसाद 2.शुभम पुत्र सुरजा उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से भगा ले गया, जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 327/2026 धारा 87/137(2)/281/106(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

“श्री रवि कुमार” पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र अन्तर्गत डलमऊ तिराहा बाईपास के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.पिंकू पुत्र रामप्रसाद निवासी पूरे अचल मजरे देवगाँव थाना लालगंज रायबरेली 2.शुभम पुत्र सुरजा निवासी पूरे अचल मजरे देवगाँव थाना लालगंज रायबरेली को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आज दिनांक 15.10.2026 को अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.पिंकू पुत्र रामप्रसाद निवासी पूरे अचल मजरे देवगाँव थाना लालगंज रायबरेली
- 2.शुभम पुत्र सुरजा निवासी पूरे अचल मजरे देवगाँव थाना लालगंज रायबरेली

गिरफ्तार करने वाली थाना लालगंज पुलिस टीम-

1. अति0 निरी0 सुशील कुमार यादव
2. आ0 बृजभान
3. आ0 उजितराज
4. आ0 दिनेश कुमार



मीडिया सेल रायबरेली।